न्यायालय : न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, मण्डोर, जोधपुर महानगर, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— महिमा श्रीमाली, आर.जे.एस.
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या :— 187/2022
पुलिस थाना :— मण्डोर, जोधपुर
सी.एन.आर. नम्बर :— RJJU100005052022

राजस्थान राज्य

बनाम

अभियुक्तगण—

01. भूरसिंह पुत्र सरदारसिंह, उम्र— 52 वर्ष (आरोप पत्र के अनुसार),
02. नरेन्द्र पुत्र भूरसिंह, उम्र—25 साल, (आरोप पत्र के अनुसार)
निवासी— बगतोजी का बेरा, पुलिस थाना मण्डोर, जोधपुर।

अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323/34 भा.द.स.

उपस्थित

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज.राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री युधिष्ठिर कच्छवाहा व सुश्री वर्षा कच्छवाहा — अभियुक्तगण की ओर से।

क.सं.	विवरण	दिनांक
01	आरोप पत्र पेश करने की दिनांक	04.12.2021
02	प्रसंज्ञान लिये जाने की दिनांक	04.12.2021
03	आरोप सांराश सुनाने की दिनांक	30.05.2022
04	साक्ष्य प्रारम्भ करने की दिनांक	30.05.2022
05	बयान मुलजिम लेने की दिनांक	04.07.2024
06	निर्णय की दिनांक	02.07.2026

निर्णय दिनांक :— **02.07.2026**

01. संक्षेप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादी टीकमसिंह ने

उपस्थित थाना होकर इस आशय की लिखित रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 16.09.2019 को वह उसकी गाडी टाटा 1709 नम्बर आरजे 19 जीसी 5804 फाचरा का आईट के अनुसार श्रीमती राधा देवी की पुस्तैनी जमीन बक्तोजी का बेरा सूरजगढ के सामने आई हुई है, वहां प्रातः 8.15 पर वह और राधा देवी जहां उनकी जमीन है, तब वहां पर भूरसिंह, हीरालाल, नरेन्द्र उर्फ नन्दा, तीनों ने मिलकर उसकी साइड कांच तोड डाला और तीनों ने मिलकर उसे रूकवाया औश्र उसकी पिटाई की और उसे लकडी और तेज धार से पिटाई की और नरेन्द्र ने उसे तेज धारदार हथियार से उसके उपर वार किया.............आदि। वगैरा रिपोर्ट पर पुलिस थाना मण्डोर में प्रकरण संख्या 346 / 2019 दर्ज कर मामलें में आवश्यक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त भूरसिंह व नरेन्द्र के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 341, 323 / 34 में आरोप पत्र दिनांक 23.07.2020 को न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या–05 जोधपुर महानगर पेश किया जाकर न्यायालय द्वारा अभियुक्त भूरसिंह व नरेन्द के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् श्रीमान मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के आदेश क्रमांक 49 दिनांक 18.08. 2022 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट संख्या 05 जोधपुर महानगर से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

02. अभियुक्तगण को धारा 341, 323 / 34 भा.दं.सं. के तहत आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उक्त आरोपों को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03. उक्त आरोप के संदर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में अग्रलिखित सूचीबद्ध मौखिक साक्ष्य में गवाहों को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाए गए।

मौखिक साक्ष्य		
1.	पीडब्ल्यू–1	टीकमसिंह
2.	पीडब्ल्यू–2	मुकेश
3.	पी.डब्ल्यू–3	भूरसिंह

4.	पीडब्ल्यू–4	शक्तिसिंह

नोटः– अभियोजन द्वारा अन्य गवाह के तर्क किये जाने एवं न्यायालय द्वारा शेष गवाहान को तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं हुआ, जिसपर साक्ष्य बंद की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य		
क्रम संख्या	दस्तावेज प्रदर्श	दस्तावेज का विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी 2	नक्शा मौका
3.	प्रदर्श पी 3	चोट प्रतिवेदन

04. अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया।

05. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

06. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अभियुक्तगण ने विद्वान अभियोजन अधिकारी के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा मारपीट नहीं की गयी। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का का निवेदन किया।

07. पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकरण में विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है –

01. ''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16.09.2019 को सुबह 8.15 एएम पर मौजा बक्तोजी का बेरा, सूरजगढ के सामने परिवादी टीकमसिंह को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की ?

08. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में प्रकरण में अभियोजन पक्ष का महत्वपूर्ण गवाह टीकमसिंह पीडब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.09.2019 को सुबह सवा आठ बजे वह अपनी गाडी टाटा 709 नम्बर आरजे 19 जीसी 5804 राधा देवी की पुश्तैनी जमीन पर पत्थर डालने गया था, जहां गाडी खाली कर आधा किलोमीटर दूर हो गया था, तब वहां भूरसिंह, हीरालाल, नरेन्द्र तीनों उसके पास आये और नरेन्द्र ने धारदार हथियार से उसके उपर वार किया तथा हीरालाल ने लाठी से मारपीट की और गाडी का कांच तोड दिया, फिर भूर सिंह ने उसकी सोने की चैन व तीन हजार रूपये छीन लिये, उपरोक्त घटना में उसके चोटे आई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 है। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 है, उक्त फर्दो पर अपने हस्ताक्षर होने बाबत कथन किये।

प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये कि उसका मुलजिमान से झगडा खाली प्लॉट को लेकर हुआ था। उसकी सोने की चैन व तीन हजार रूपये आज तक बरामद नहीं हुए। यह कहना सही है कि फोटोग्राफ में पत्थर वगैरह दिखाई नहीं दे रहे है। पुलिस ने उसके सामने मुलजिमान से हथियार बरामद नहीं किये थे।

09. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में प्रकरण में अभियोजन पक्ष का गवाह **मुकेश पीडब्ल्यू 02** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 16.09.2019 को सुबह करीब सवा आठ बजे की बात है। सूरजगढ के सामने भूरसिंह जी व उनके दोनों पुत्र हीरालाल व नरेन्द्र, टीकम सिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। नरेन्द्र के हाथ में हथियार था और भूरसिंह ने टीकम सिंह की चैन व पैसे छिने

थे तथा नरेन्द्र ने टीकम सिंह के हाथ पर धारदार हथियार से वार किया था, हीरालाल ने लाठी से मारपीट की थी तथा गाडी के शीशे फोड दिये थे। पथराव के समय भूरसिंह के चोट लगी थी, जो कि नरेन्द्र ने टीकम सिंह को मारने के लिये पत्थर फेंका था, जिससे लगी थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 02 है, जिसपरी सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है।

वहीं प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये है कि वह वक्त घटना रतन सिंह की दुकान पर खडा था, रतन सिंह की दुकान व जिस जगह पर गाडी खडी थी, उसके बीच की दूरी 60–70 फुट थी। रतन सिंह की दुकान पर उसके साथ में उस समय और कौन–काने थे, आज उनके नाम याद नहीं है। यह कहना सही है कि जो उसने बयानों में पैसों व चैन छीनने की बात है, वह उसके सामने पुलिस ने बरामद नहीं की थी।

10. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में प्रकरण में अभियोजन पक्ष का गवाह **भूरसिंह पीडब्ल्यू 03** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि सूरज गार्डन के सामने भूरसिंह, नरेन्द्र व हीरालाल ने टीकमसिंह के साथ मारपीट की थी। टीकमसिंह के ट्रक पर पत्थर भी मारे, जिससे गाडी के कांच भी टूट गये थे।

वहीं प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये है कि उसने मारपीट होते हुए देखी थी, परन्तु तारीख याद नहीं। टीकमसिंह का प्लॉट था, जहां पर पत्थर डालने गया था, इसलिये लडाई–झगडा हुआ था। यह बात सही है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे।

11. उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में प्रकरण में अभियोजन पक्ष का गवाह **शक्ति सिंह पीडब्ल्यू 04** के रूप में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि वर्ष 2019 की सुबह 08 बजे से 09 बजे के बीच की बात है। उस दिन वह सूरतगढ से घुमकर अपने घर पर पैदल आ रहा था, तब उसने देखा कि भूरसिंह व उसके साथ एक–दो व्यक्ति और थे, ने मिलकर टीकमसिंह के साथ मारपीट कर रहे थे। उसने अपनी आंखों से मारपीट करते हुए देखा था। उसके पुलिस में बयान हुए

थे।

वहीं प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किये है कि उसके थाने में बयान हुए थे। उसे याद नहीं है कि उसके साथ बयान देने के समय और कौन था। टीकमसिंह उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगते थे, उसके पडौसी है। उसके सामने पुलिसवालों ने कोई धारदार हथियार जब्त नहीं किये थे। यह कहना सही है कि उसने कोई बीच–बचाव नहीं किया था।

12. पत्रावली पर आई समस्त साक्ष्य के विवेचन से पूर्व संबंधित विधिक प्रावधानों का अध्ययन करना आवश्यक है। अभियुक्त पर धारा 323, 341 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप है। न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम अभियुक्त पर आरोपित अपराध धारा 323, 341 भादस पर विवेचन किया जा रहा है जिसके तहत अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी टीकमसिंह का रास्ता रोककर सदोष अवरोध कारित किया व परिवादी के साथ सरिये से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। यहां उपरोक्त धारा के संबंध में विधिक प्रावधान का अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

13. धारा 323 भारतीय दंड संहिता ''स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दंड का प्रावधान करती है एवं धारा 319 भा.दं.सं. में उपहति को परिभाषित किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

14. **उपहति को धारा 319 भारतीय दंड संहिता** में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार **''जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है, वह उपहति करता है, यह कहा जाता है।**

15. **''स्वेच्छया उपहति कारित करने को** धारा 321 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार **जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे या इस ज्ञान के साथ करता है कि यह संभाव्य है कि वह तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और**

तद्द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति करता है।'' यह कहा जाता है।

16. धारा 341 भारतीय दंड संहिता सदोष अवरोध के लिए दंड का प्रावधान करती है। सदोष अवरोध को धारा 339 भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है, जिनके अनुसार **''जो कोई व्यक्ति स्वेच्छयापूर्वक किसी आहत व्यक्ति को जिस दिशा में उसे जाने की उसे अधिकारित प्राप्त हो, से निवारित कर रोकता है तो उसका कृत्य सदोष अवरोध की श्रेणी में आता है।''**

17. अनुसंधान अधिकारी द्वारा आरोप पत्र पेश करते वक्त साक्ष्य सूची में 08 गवाह का नाम अंकित किया गया था, जिसमें से न्यायालय के समक्ष 4 गवाह परीक्षित हुए है। गवाह संख्या 03 भारत सिंह को व गवाह संख्या 04 डॉ. प्रवीण टाक को न्यायालय द्वारा कई दफा तलब किया गया, परन्तु न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 21.11.2025 को उक्त गवाहों की तलबी बंद की गई व गवाह संख्या 07 अनुसंधान अधिकारी व नतीजा पेशकर्ता को अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 25.04.2025 को तर्क किया गया। ऐसे में उक्त गवाह भी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हो पाये है। न्यायालय के समक्ष टीकमसिंह, मुकेश व शक्तिसिंह व भूर सिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए है।

18. ऐसे में न्यायालय में चार गवाह परीक्षित हुए है, चारों गवाहों के बयानों का अवलोकन किया जाये तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी टीकमसिंह द्वारा दर्ज लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर हुआ है, जिसमें परिवादी ने घटना के वक्त अभियुक्तगण द्वारा परिवादी पर लकडी और तेज धारदार हथियार से वार करने के कथन किए हैं। परिवादी न्यायालय के समक्ष पीडब्लू 1 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 की ताईद की है। टीकमसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये कि अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा उसके उपर हथियार द्वारा वार किये जाने के कथन किये है, जबकि प्रतिपरीक्षण में गवाह ने इस कथन को स्वीकार किया है कि उसके सामने पुलिस ने कोई हथियार बरामद नहीं किया था। इस संदर्भ में

पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो पत्रावली में कोई भी ऐसी फर्द नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि अभियुक्तगण से हथियार या लकडी बरामद की गई हो एवं ना ही अभियोजन द्वारा ऐसे कोई गवाह को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है, जिससे कि उक्त हथियार या लकडी की बरामदगी के बारे में कोई स्पष्टता न्यायालय के समक्ष प्रकट हो। परिवादी द्वारा न्यायालय में यह भी कथन किये है कि उसके सामने कोई हथियार या लकडी अभियुक्तगण से हथियार बरामद नहीं किये है। अन्य गवाह पी.डब्ल्यू 4 शक्तिसिंह ने भी न्यायालय के समक्ष कथन किये है कि पुलिसवालों द्वारा किसी प्रकार का कोई हथियार या लकडी जब्त नहीं किया गया था। सामान्य अनुक्रम में यदि कोई घटना में हथियार का उपयोग उपयोग किया जाता है तो अनुसंधान में यह अपेक्षित होता है कि उक्त हथियार को दौराने अनुसंधान बरामद किया गया हो, परन्तु हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण से कोई भी हथियार व लकडी बरामदगी नहीं की गई है। यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि चूंकि अनुसधांन अधिकारी न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, ऐसे में न्यायालय के समक्ष हथियार या लकडी के बाबत स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यदि हथियार या लकडी का उपयोग हुआ होता तो वो हथियार एवं लकडी कहां है, इस बाबत भी अनुसंधान मौन है। न्यायालय के मत में यदि अभियुक्तगण द्वारा हथियार या लकडी का उपयोग किया जाये तो अवश्य ही अनुसंधान पत्रावली में हथियार की फर्द जब्ती होती। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाई है कि अभियुक्तगण द्वारा हथियार या लकडी का उपयोग किया हो।

19. इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा अपने बयानों में कथन किया गया है कि उसको अभियुक्तगण के वार से चोटे आई थी। इस संदर्भ में चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 03 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से यह दर्शित होता है कि परिवादी के चोटे साधारण प्रकृति की है एवं भौंटे हथियार से कारित होना दर्शित है। चूंकि न्यायालय के समक्ष चिकित्साधिकारी डॉक्टर प्रवीण टाक परीक्षित नहीं हुआ है, ऐसे में चोट प्रतिवेदन प्रदर्शित तो हो पाया है, परन्तु साबित नहीं हो पाया है। न्यायालय के मत में, उपरोक्त विवेचन अनुसार अभियोजन यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण द्वारा या लकडी का उपयोग किया गया है तो ऐसे में यह भी साबित नहीं हो पा रहा है कि प्रदर्श पी 03 में अंकित चोटें अभियुक्तगण द्वारा ही कारित की गई है। न्यायालय के

मत में इस आंशका से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवादी को उक्त चोटे गिरने से भी कारित हो सकती है।

20. इसके अतिरिक्त परिवादी ने यह भी कथन किये है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी गाडी का कांच तोडा गया। इस संबंध में परिवादी ने इस बाबत फोटोग्राफ्स भी पत्रावली में पेश किये है, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा उक्त फोटोग्राफ्स को न्यायालय में प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, ना ही परिवादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया हो, जिससे फोटोग्राफस में दर्शित वाहन से परिवादी का संबंध स्थापित किया जा सके। ऐसे में मात्र पत्रावली में फोटोग्राफस उपलब्ध होने से यह कदापि साबित नहीं हो जाता है कि वाहन परिवादी का हो एवं अभियुक्तगण द्वारा वाहन के साथ तोडफोड की गई हो।

21. जहां तक परिवादी का कथन है कि अभियुक्तगण द्वारा उसकी चैन व पैसे छीन लिये गये तो इस बाबत परिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, जिससे यह दर्शित हो कि परिवादी की सोने की चैन व रूपये की बरामदगी अभियुक्तगण या किसी अन्य व्यक्ति से की गई हो। इस संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई गवाह भी पेश नहीं किया है, जो बरामदगी बाबत साक्ष्य दे। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू 2 मुकेश ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किये है कि पुलिस द्वारा चैन बरामद नहीं की गई थी। अतः ऐसे में अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि परिवादी के कथनानुसार अभियुक्तगण द्वारा उसके चैन व पैसे छीने गये।

22. अब अन्य गवाह की साक्ष्य का परिशीलन किया जाये तो गवाह पी.डब्ल्यू 3 भूरसिंह जो कि परिवादी का भाई है, वह न्यायालय में कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान हुए नहीं है, जिससे उक्त घटना की सत्यनिष्ठता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है। अन्य गवाह पी.डब्लयू 4 शक्ति सिंह जो कि भूरसिंह का पडौसी है वह कथन करता है कि वहां झगडा हो रहा था, परन्तु उसके द्वारा कोई बीच–बचाव नहीं किया गया। उक्त कथन सामान्य अनुक्रम से भिन्न दर्शित होता है, क्योंकि यदि किसी पडौसी की अन्य व्यक्ति से लडाई हो रही हो तो एक पडौसी से यह तो उम्मीद की जाती है कि वह झगडा का हिस्सा हो या ना हो, वह अवश्य ही बीच बचाव करे एवं उस झगडे को खत्म करने की पूरी कोशिश करे। इस प्रकार उक्त दोनों गवाहों की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों ही गवाह

हितबद्ध साक्षी दर्शित होते है एवं अभियोजन द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किये गये है।

23. प्रकरण में यह तथ्य भी उभरकर आया है कि परिवादी व अभियुक्तगण के बीच आपसी सम्पत्ति को लेकर कोई विवाद है। चूंकि दौराने अनुसंधान अभियुक्तगण से न ही कोई हथियार या लकडी बरामद की गई है, न ही परिवादी की सोने की चैन एवं रूपये बरामद किये गये है एवं ना ही कोई स्वतंत्र गवाह अभियोजन द्वारा परीक्षित करवाये गये, ऐसे में न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पूर्ण रूप से यह यह साबित नहीं कर पाया है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 16.09.2019 को प्रातः 08.15 बजे परिवादी टीकमसिंह को मौजा वक्तोजी का बेरा, सूरजगढ के सामने परिवादी को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया एवं परिवादी के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। लिहाजा अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाना न्यायोचित है।

–: आदेश :–

24. अतः अभियुक्तगण **भूरसिंह** पुत्र सरदार सिंह व **नरेन्द्र** पुत्र भूरसिंह, निवासीगण– बगतोजी का बेरा, पुलिस थाना मण्डोर, जोधपुर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 / 34 आईपीसी के तहत अभियोजनात्मक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

24.1 अपील होने की सूरत में अपील न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् अभियुक्त दस हजार रुपये के जमानत मुचलके अभियुक्तगण पेश कर तस्दीक करावे।

24.2 निर्णय की एक प्रति अविलम्ब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(महिमा श्रीमाली)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय मण्डोर,
जोधपुर महानगर।

25. निर्णय आज दिनाँक **02.07.2026** को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(महिमा श्रीमाली)
न्यायाधिकारी,
ग्राम न्यायालय मण्डोर,
जोधपुर महानगर।